



SPICES BOARD

(Ministry of Commerce and Industry
Government of India)

Sugandha Bhavan
N.H. By-pass
P.B. No. 2277
Palarivattom P.O.
Cochin - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन. एच. बाइपास
पी. बी. नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोच्चिन - 682 025, भारत

परिपत्र संख्या :16/2021

29 नवंबर, 2021

विषय : चीनी जनवादी गणराज्य द्वारा निर्धारित पंजीकरण विनियम से संबन्धित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ़एक्यू) -बाबत

- - - - -

यह, सीमा शुल्क के सामान्य प्रशासन(जीएसीसी), चीनी जनवादी गणराज्य द्वारा लगाए गए पंजीकरण अपेक्षाओं से संबन्धित स्पाइसेस बोर्ड का परिपत्र संख्या 12/2021 दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 के संदर्भ में है। इस संबंध में, बोर्ड ने भारतीय दूतावास, बीजिंग के साथ मसाला निर्यातकों के प्रश्नों को उठाया था और प्राप्त उत्तर निम्नानुसार हैं:

प्रश्न 1) क्या जिन निर्यातकों ने जीएसीसी पंजीकरण के लिए स्पाइसेस बोर्ड को विवरण प्रदान किया है(जिसे बाद में दूतावास और आगे जीएसीसी को प्रदान किया गया है), उन्हें www.singlewindow.cn पर पंजीकरण के लिए व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने की आवश्यकता है?

उत्तर) यह ध्यान दिया जा सकता है कि, उत्पादों की 18 श्रेणियां हैं जिन्हें पंजीकरण की आवश्यकता होती है। आदेश संख्या 248, अनुच्छेद 7 में उल्लिखित 18 श्रेणियां हैं : मांस और मांस उत्पाद, खोल, जलीय उत्पाद, डेरी उत्पाद, चिड़िया का घोंसला और पक्षी के उत्पाद, मधुमक्खी उत्पाद, अंडे और अंडे के उत्पाद, खाद्य वसा और तेल, भरवां पास्ता, खाद्य अनाज, अनाज मिलिंग औद्योगिक उत्पाद और माल्ट, ताजी और निर्जलित सब्जियां और सूखे सेम, मसाला, नट और बीज, सूखे मेवे, भुना हुआ कॉफी बीन्स और कोको बीन्स, विशेष आहार खाद्य पदार्थ, स्वास्थ्य भोजन। 18 श्रेणियों के भीतर के सभी उत्पादों के लिए, सक्षम भारतीय अधिकारियों को उद्यमों की सूची प्रदान करने की आवश्यकता है:

मसाले और मसाला उत्पाद जिनके लिए भारत ने चीन में बाजार पहुंच प्राप्त की है और जो उपरोक्त 18 श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, नीचे दी गई तालिका में सूचीबद्ध हैं।

तालिका -1 मासाले व मसाला उत्पाद जिनकेलिए पंजीकरण अपेक्षित है	
1	स्टार एनीज़
2	थाइम पत्ता (पाउडर)

3	इलायची
4	कालीमिर्च
5	हल्दी (Curcuma longa rhizome)
6	करी पाउडर
7	जीरा (Cuminum seed)
8	मिर्च पाउडर
9	सुखा कालीमिर्च (मिर्च)
10	सेलरी बीज
11	अदरक
12	सोआ पाउडर
13	बड़ी सौंफ
14	कालाजीरा बीज
15	धनिया बीज

भारत के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जीएसीसी को प्रदान की गई सूची(जीएसीसी के साथ मसाला निर्यातकों के पंजीकरण के लिए स्पाइसेस बोर्ड भारत द्वारा प्रदत्त सूची सहित) की जीएसीसी द्वारा समीक्षा की जा रही है, और दिसंबर में समीक्षा का परिणाम प्रकाशित किया जाएगा।

प्रश्न 2) क्या चीन के लिए, उपरोक्त तालिका में(जीएसीसी द्वारा प्रदत्त) सूचीबद्ध न किए गए उत्पादों सहित सभी उत्पादों के निर्यात हेतु जीएसीसी पंजीकरण अपेक्षित है? यदि नहीं है, क्या फ़र्म, जैसेकि पहले अपनाई गई प्रक्रिया थी उसके अनुसार, उत्पादों को, जो उपरोक्त तालिका में सूचीबद्ध नहीं हैं, चीन के लिए निर्यात करना जारी रख सकते हैं?

उत्तर : उन उत्पादों, जो इस 18 श्रेणियों से संबन्धित नहीं हैं अंड भारत का व्यापार पहुँच है, के लिए उद्यम सिंगल विंडो (www.singlewindow.cn) के ज़रिए खुद पंजीकृत कर सकते हैं। उद्यम द्वारा प्रदत्त सामग्रियों के अनुसार निर्धारित समीक्षा एवं अनुमोदन तारीख तय की जाएगी। यदि उपरोक्त 18 श्रेणियों से संबन्धित मर्दे हैं और उन्हें चीन के लिए वर्तमान में निर्यात की जाती हैं, लेकिन उपरोक्त तालिका-1 में संसूचित नहीं हैं, तो ऐसी मर्दों का उत्पाद नाम तथा एचएस कोड को जीएसीसी को आगे भेज देने हेतु स्पाइसेस बोर्ड को प्रदान किए जाए और जीएसीसी उनकी जांच करेगी और उत्तर देगी।

प्रश्न 3) क्या हम पंजीकरण के लिए विवरण की प्राप्ति के बारे में जीएसीसी से पुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, ताकि उसे निर्यातकों द्वारा चीन के खरीदारों के साथ साझा किया जा सके। चूंकि निर्यात कार्यक्रम अग्रिम रूप से नियोजित होते हैं, खरीदार इस तरह की पुष्टि के लिए जोर दे रहे हैं, ताकि आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित हो सके।

उत्तर) चूंकि कार्यान्वयन तिथि 1 जनवरी, 2022 है, जीएसीसी ने उल्लेख किया है कि पंजीकरण संख्या प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, यदि सीमा शुल्क घोषणा 1 जनवरी, 2022 के बाद की है तो। जीएसीसी ने पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने और पंजीकरण संख्या जारी करने के लिए एक विशिष्ट तिथि प्रदान नहीं की है। भारतीय दूतावास, बीजिंग, चीन ने जीएसीसी को सूचित किया है कि पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की स्थिति जानने की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि जनवरी 2022 के लिए निर्यात को दिसंबर के मध्य तक भारतीय बंदरगाहों से प्रस्थान करने की आवश्यकता है।

आपकी सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए।



निदेशक(विपणन)

सेवा में,

मसालों और मसाला उत्पादों के सभी निर्यातक

(फ़ाइल संख्या: विपणन-क्यूआर/0001/2020-विपणन- 18053 द्वारा जारी)